

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण जिला-बालोद (छ.ग.)

// निविदा आमंत्रण सूचना //

क्रमांक / 776 / स.क. / 2017-18


बालोद, दिनांक 09 / 10 / 2017

जिला बालोद समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग उपकरण / सहायक उपकरण कय हेतु निम्नानुसर निविदा आमंत्रित किया जाता है।

क्रमांक कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण का नाम

- 1 ट्रायसायकल (दाया हाथ / बाया हाथ)
- 2 व्हील चेयर
- 3 बैसाखी (लार्ज, मिडियम, स्माल)
- 4 श्रवण यंत्र (मॉडल / आरफी कंपनी)
- 5 ब्लाइंड स्टीक
- 6 ब्रेल किट

निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रपत्र कार्यालय उपसंचालक, समाज कल्याण विभाग कार्यालय न्यू कलेक्टर परिसर बालोद से प्राप्त कर कार्यालयीन दिवस में निविदा विज्ञापित दिनांक से दिनांक 25.10.2017 समय 3.00 बजे तक जमा कर सकते हैं 3.30 बजे में निविदाएं खोली जावेगी एवं वेबसाईट www.balod.gov.in में देख सकते हैं।



उपसंचालक,
समाज कल्याण
जिला - बालोद (छ.ग.)

पृ क्रमांक / 776 / स.क. / 2017-18
प्रतिलिपि :-

बालोद, दिनांक 09 / 10 / 2017

1. जिला सूचना अधिकारी, जिला बालोद को वेबसाईट में अपलोड करने हेतु
2. उपसंचालक, जनसम्पर्क जिला-बालोद को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ।

PK


उपसंचालक,
समाज कल्याण
जिला - बालोद (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र – I

- 1 निविदा ज्ञापन क्रमांक दिनांक
- 2 निविदा कर्ता का नाम एवं फर्म का नाम
तथा पूर्ण पता फोन नं. सहित
- 3 वाणिज्यक कर पंजीयन क्र. व दिनांक
(जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति
संलग्न करें)
- 4 कार्य अनुभव या पूर्व में शासकीय
विभाग से प्राप्त क्रय आदेश की प्रति
- 5 निविदाकार का टिन नं. एवं पेन नं.
(छायाप्रति संलग्न करें)
- 7 उपसंचालक समाज कल्याण जिला
बालोद के नाम से 30,000/- रु.
सुरक्षानिधि बैंकड्राफ्ट के रूप में जमा
करें। बैंक का नाम, डी.डी.क्रमांक एवं
दिनांक

निविदा कर्ता का हस्ताक्षर
एवं फर्म का सील

घोषणा पत्र

मैंशपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि इस
निविदा पत्र की सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं मैं उनके पालन का वचन देता हूँ।

निविदा कर्ता का हस्ताक्षर
एवं फर्म का सील

निविदा प्रपत्र – II

निविदाकर्ता का नाम/ फर्म का नाम

निविदा क्रमांक.....

दिनांक

क्र० कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण का नाम

निविदा कर्ता द्वारा प्रस्तावित दर

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| 1 | ट्रायसायकल (दाया हाथ/बाया हाथ) | रु.....प्रति नग |
| 2 | व्हील चेयर | रु.....प्रति नग |
| 3 | बैसाखी (लार्ज, मिडियम, स्माल) | रु.....प्रति नग |
| 4 | श्रवण यंत्र (मॉडल/आरफी कंपनी) | रु.....प्रति नग |
| 5 | ब्लाइंड स्टीक | रु.....प्रति नग |
| 6 | ब्रेल किट | रु.....प्रति नग |

निविदा कर्ता का हस्ताक्षर
एवं फर्म का सील

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण जिला— बालोद (छ.ग.)
निविदा की शर्तें

कार्यालयीन निविदा विज्ञापित क्रमांक / /स.क./2017-18 बालोद दिनांक 09.10.2017 के द्वारा जिला बालोद समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग उपकरण/सहायक उपकरण क्रय हेतु गठित क्रय समिति द्वारा निम्नांकित शर्तें रखी गई हैं।

1. निविदा जमा करने वाले फर्म /व्यक्ति का जीवित पंजीयन वाणिज्यकर विभाग छ.ग. में होना अनिवार्य है।
2. निविदा प्रपत्र विज्ञापित दिनांक से 25.10.2017 समय 3.00 बजे कार्यालयीन दिवस में प्राप्त कर सकते हैं।
3. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25.10.2017 समय 3.00 बजे होगी। संबंधित निविदाकार कार्यालय उपसंचालक, समाज कल्याण जिला बालोद के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।
4. निविदा प्रपत्र क्रय समिति एवं निविदाकारों के समक्ष दिनांक 25.10.2017 समय 3.00 बजे कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण बालोद में खोली जावेगी।
5. निविदा हेतु सुरक्षा निधि के रूप में 30,000/- रु. का बैंकड्राफ्ट जो उपसंचालक पंचायत एवं समाज कल्याण जिला बालोद के नाम से देय जा जमा करना होगा। अन्यथा प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
6. निविदा पत्र के साथ क्रय किये जाने वाली सामाग्रियों के नमूने भी कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण जिला बालोद में जमा करना होगा।
7. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम लिफाफे में प्रपत्र एक में निविदाकार से संबंधित वांछित जानकारी की छायाप्रति संलग्न करना होगा। जिसे क्रय समिति द्वारा सर्व प्रथम खोली जावेगी। वांछित जानकारी पूर्ण होने पर दुसरा लिफाफा प्रपत्र दो खोला जावेगा, जिसमें क्रय किये जाने वाली सामाग्रियों की दर होगी। प्रथम लिफाफे में वांछित जानकारी नहीं पाये जाने पर निविदा अमान्य मानी जावेगी।
8. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
9. उपरोक्त सामाग्री (ISI) मार्क एवं भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित तथा गुणवत्ता युक्त होना चाहिए।
10. अनुमोदित प्रथम एवं द्वितीय निविदाकार की सुरक्षा निधि रोककर शेष निविदाकार की सुरक्षा निधि तत्काल वापस कर दी जावेगी।
11. उपरोक्त सामाग्री नियत स्थान में पहुँचाने हेतु पृथक से परिवहन व्यय का प्रावधान नहीं होगा। शिविर स्थल में सामग्री पहुँचाने हेतु उपरोक्त दर अनुबंधित रहेगी।
12. उपरोक्त कृत्रिम/सहायक उपकरण स्वीकृत निविदाकार द्वारा प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त करने पर सुरक्षा निधि जब्त कर ली जावेगी एवं संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
13. क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से उपरोक्त सामाग्री 15 दिवस के अंतर्गत अधोहस्ताक्षर के कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
14. उपरोक्त सामाग्री परिवहन में पहुँचाने समय किसी भी प्रकार की छति होती है तो जवाबदारी स्वतः निविदाकर्ता की होगी।
15. किसी भी विवाद की स्थिति में गठित जिला स्तरीय क्रय समिति बालोद का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

उपसंचालक,

समाज कल्याण

जिला - बालोद (छ.ग.)